संख्या-56/2023/3510 /58-1-2023-54-2099/41/2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर,2023

विषयः अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय त्रैमास के लिए नैफेड को चना दाल की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान के सम्बंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-558/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2023-24, दिनांक 29 सितम्बर, 2023 एवं पत्र संख्या-622/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2023-24, दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थियों को चना दाल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु खुदरा हस्तक्षेप योजना ''भारत दाल'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय त्रैमास के लिए अनुपूरक पुष्टाहार योजना अन्तर्गत रियायती दर पर नैफेड से चना दाल प्राप्त करने हेतु कुल रु0 1,91,62,63,712.00 (रुपये एक अरब इक्यानबे करोड़ बासठ लाख तिरसठ हजार सात सौ बारह मात्र) (केन्द्रांश रु0 95,81,31,856.00 एवं राज्यांश रु0 95,81,31,856.00) के अग्रिम की स्वीकृति एवं उक्त अग्रिम का भुगतान योजनान्तर्गत खोले गये एस0एन0ए0 खाते में उपलब्ध/स्थानान्तरित धनराशि से नैफेड को किये जाने तथा चना दाल के पैकेट पर भारत दाल लोगो स्थापित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) भविष्य में यदि साबूत चना की दरें कम होती हैं, तो चना दाल की दरें तद्नुसार परिवर्तनीय होंगी एवं चना दाल के पैकेट पर भारत दाल लोगो स्थापित करने हेतु पृथक से कोई धनराशि देय नहीं होगी।

(2) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017, शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15- 1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.2011 तथा शासनादेश दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) इस सम्बंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है,तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(7) एक बार में एक माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जायेगी।

(8) योजना से सम्बन्धित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सुसंगत गाउडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

(9) पूर्व में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2024 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रशनगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

(10) आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरन्त बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(11) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा एवं इसका दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(12) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(13) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(14) समस्त अग्रिम का समायोजन 31.03.2024 तक अवश्य कराया जायेगा।

(15) ऑकड़ों एवं तथ्यों की पुन: पुष्टि एवं वित्त विभाग की शर्तो का अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0, लखनऊ तथा वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार के रूप में निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0, लखनऊ में तैनात अपर निदेशक (वित्त) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के0-50/रा0-50-के0+रा0) एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8925-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार" के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अग्रिम का भुगतान योजनान्तर्गत एस0एन0ए0 खाते में उपलब्ध/स्थानान्तरित धनराशि से किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-E-4-133-X-2023-24, दिनांक 09 नवम्बर, 2023 द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या-56/2023/3510(1) /58-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1।
5. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (लेखा)अनुभाग-1।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।